

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

संख्या- 5/श्रम स्था0 (2)-18/2015

पटना, दिनांक-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/वि0-1013/2015- 8653 दिनांक 16.06.2015 के आलोक में 9वें सिविल सेवा दिवस 2015 के अवसर पर नई दिल्ली में हुए आयोजन के समय सम्पन्न विचार-विमर्श के आलोक में प्रधान मंत्री पुरस्कार प्राप्त विषयगत नवाचारों में से प्रासंगिकता के आधार पर राज्य के लिये 05 नवाचारों को चिन्हित करते हुए राज्य में उन्हें अपनाए जाने की दृष्टि से प्रत्येक के अध्ययन हेतु 4-5 पदाधिकारियों का पृथक-पृथक दल भेजे जाने की अपेक्षा कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा चिन्हित उक्त 05 आलोच्य नवाचारों में से एक यथा "कौशल विकास कार्यक्रम-गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के जनजातीय युवा की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने और आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना" को श्रम संसाधन विभाग के साथ सम्बद्ध किया गया है।

2. लोक प्रशासन में नवाचार के प्रयासों की उत्कृष्टता के लिये उपर्युक्त चिन्हित नवाचार के अध्ययन हेतु श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री पंकज दीक्षित, भा0प्र0से0, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन की अध्यक्षता में निम्नरूपेण अध्ययन दल का गठन किया जाता है:-

1. श्री पंकज दीक्षित, भा0प्र0से0, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन
2. श्री अशोक कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी
3. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, प्रशिक्षण
4. श्री अतुल रंजन, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दरभंगा।

3. संदर्भित अध्ययन दलों की प्रस्थान तिथि का निर्धारण एवं इस प्रयोजनार्थ प्रासंगिक नवाचारों से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि का मनोनयन कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किये जाने के उपरान्त गठित दल प्रासंगिक नवाचार के अध्ययन हेतु नियत समय पर गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करेगा।

4. भारत सरकार के पत्र के अनुसार लौटने के उपरान्त अध्ययन दल राज्य सरकार के समक्ष अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। उक्त प्रस्तुति के समय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे।

5. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 5/श्रम स्था0 (2)-18/2015

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 8653 दिनांक 16.06.2015 एवं ज्ञापांक 8656 दिनांक 16.06.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- 5/श्रम स्था0 (2)-18/2015 - 1806

पटना, दिनांक- 02.07.2015

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण /निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ अपर सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अध्ययन दल के सभी पदाधिकारीगण/अवर सचिव,श्रम संसाधन/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव